न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 79 / 2025

श्री प्रहलाद पुत्र ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी यशोदा-नन्दनपुरा पोस्ट तुर्किया तहसील निवाई जिला टोंक ---अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 01.10.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13.07.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1 कार्यालय भू-प्रबंध अधिकारी टोंक का पत्र क्रमांक / फा/समु/भूप्रअ टोक/सी. ज्ञा./111/23/273, दिनांक 04/06/2025 को प्रतिलिपि में उल्लेखित किन-किन प्राधिकारियों को किस माध्यम से भेजा गया, यथा मेल, भारतीध पोस्ट इत्यादि जो भी माध्यम प्रेषण का रहा है उन सबकी पावती स्वरूप दस्तावेज जो उक्त पत्रों की प्रतिपुष्टि करता है उन सब दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्रदान करने की कृपा करे।

2 कार्यालय भू-प्रबंध अधिकारी टोक का पत्र क्रमांक/फा/समु/भूप्रअ/टोक/सी. ज्ञा./111/23/273. दिनांक 04/06/2025 पर राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून बाध्यकारी है या नहीं अगर बाध्यकारी है तो कितने दिन में उक्त आदेश की पालना संभव है आदेश की प्रतिपुष्टि हेतु दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें।

3. कार्यालय भू-प्रबंध अधिकारी टोंक का पत्र क्रमांक / फा/समु/भूपअ/टोक/सी. ज्ञा./111/23/273 दिनांक 04/06/2025 का पालन प्रतिवेदन मय जिम्मेदार प्राधिकृत प्राधिकारियों की टीम के साथ सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें।

4 उक्त परिपत्र की क्रियान्विति में दूनी तहसील कार्यालय से किन किन प्राधिकारियों की कर्तव्य निर्वहन हेतु ड्यूटी लगाई गई थी समस्त का पदनाम सहीत सूची प्रदान करे।

5. दूनी तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार श्री रामवतार मीना के कितने मातहत कार्मिकों की ड्यूटी अब तक उक्त पत्र की पालनार्थ लगाई गई।

6 श्री रामवतार मीना द्वारा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी उक्त आदेश के परिपालन में की गई हो तो उक्त टिप्पणी की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करे

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1744 दिनांक 01.09.2025 व 1817 दिनांक 15.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई।

720

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 864 दिनांक 19.09.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध भू–प्रबन्ध अधिकारी टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 685 दिनांक 17.07.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 686 दिनांक 17.07.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं भू–प्रबन्ध अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट भू–प्रबन्ध अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक